

30 नवीन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र – लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010

1 अनिवार्य निम्न में से कोई एक

- 1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है
- 2 आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत है ।
- 3 आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत है और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता है/उद्योग/व्यवसाय करता है।
- 4 आवेदक राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है।
- 5 आवेदक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी है।
- 6 आवेदक केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक है।
- 7 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी है।
- 8 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति /महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त है।
- 9 आवेदक मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नी अथवा वयस्क पुत्र / पुत्री है

2 वैकल्पिक (कोई एक) यदि मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

- 1 आवेदक ने मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है – मूक,बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित को छोड़कर ।
- 2 आवेदक मूक, बधिर, अंध अथवा अशिक्षित होने से शिक्षा की शर्त लागू नहीं

3 अनिवार्य सभी

- 1 शपथ पत्र
- 2 आवेदन पत्र क्रय की रसीद